Email
Time 12:29
Date 12.9.25

मध्य प्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
//आदेश//

भोपाल दिनांक 09-09-2025

क्रमांक **F-1/1/4/0042/2025-Sec-1-10(FOR** :: राज्य शासन के आदेश क्रमांक एफ-**1/1/4/0018/2025-sec-1-10**, दिनांक **17.06.2025** द्वारा श्री सतीश चन्द्र मिश्रा, वनक्षेत्रपाल को परिक्षेत्र अधिकारी मैहर, सामान्य वनमंडल मैहर से स्थानांतरित कर परिक्षेत्र अधिकारी मझौली, सामान्य वनमंडल सीधी में पदस्थ किया गया है, जिसके विरूद्ध श्री सतीश चन्द्र मिश्रा द्वारा मान. उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक **23066/2025** में मान. उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा दिनांक **15.07.2025** को निर्णय पारित कर निम्न निर्देश दिये गये:-

..... In view of the aforesaid, without expressing any view on the merits of the case, the present petition stands disposed of with a direction to respondent No.1 to take decision on petitioner's representation dated 20.06.2025 (Annexure P/7) within a period of 30 days from the date of production of certified copy of this order by passing a well reasoned and speaking order in accordance with law.

5. For a period of thirty days or till the decision by the respondent No.1 on the representation (whichever is earlier), the petitioner shall be allowed to continue as Forest Range Officer at his present place of posting i.e. Forest Range Maihar, General Forest Division Maihar, District Maihar.

6. With the aforesaid, the present writ petition stands disposed of.

2/ मान. उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक **15.07.2025** में उल्लेखित श्री सतीश चन्द्र मिश्रा द्वारा प्रस्तुत कर शासनादेश दिनांक **17.06.2025** द्वारा नवीन पदस्थिति स्थान अर्थात परिक्षेत्र अधिकारी मझौली, सामान्य वनमंडल सीधी में किया गया स्थानांतरण निरस्त करने हेतु अभ्यावेदन दिनांक **20.06.2025** में मुख्यत: लेख किया है कि वह वन परिक्षेत्र मैहर में वन परिक्षेत्र अधिकारी मैहर की हैसियत से पदस्थ थे, वनमंडल मैहर का नवगठन होने के पश्चात वनमंडल सतना से वनमंडल मैहर पद सहित अंतरित कर उनकी नवीन पदस्थापना वनमंडल मैहर में की गई। यह कि वह वर्तमान में मध्यप्रदेश कर्मचारी कांग्रेस संगठन जिला मैहर के जिला सचिव पद पर नियुक्त है।मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग की जारी स्थानांतरण नीति दिनांक **29.04.2025** की कंडिका **33** के आलोक में राज्य शासन से मान्यता प्राप्त संगठन का पदाधिकारी नियुक्त होने के परिणामस्वरूप दो पदावधि स्थानांतरण से राज्य शासन द्वारा छूट प्रदान की गई है। यह कि परिक्षेत्र मैहर से परिक्षेत्र मझौली वनमंडल सीधी की दूरी

लगभग 200 कि.मी. की है एवं उनकी माताजी भी वृद्ध है जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता उनकी देखभाल उनके ऊपर ही निर्भर है।

4/ प्रकरण में उल्लेखनीय है कि श्री सतीश चन्द्र मिश्रा, वन परिक्षेत्र मैहर, सामान्य वनमंडल मैहर में 14.10.2016 से 04.05.2020 एवं 27.07.2020 से अब तक पदस्थ हैं, इस प्रकार श्री मिश्रा वन परिक्षेत्र मैहर में लगभग 8 वर्ष से अधिक समय से पदस्थ है। स्थानांतरण नीति 2025 की कण्डिका 33 अनुसार मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन के पदाधिकारियों को पूरे सेवाकाल में दो पदावधि अर्थात 4 वर्ष तक स्थानांतरण अन्यत्र न करने का प्रावधान है। शासन की स्थानांतरण नीति अनुसार 4 वर्ष एक ही स्थान पर सेवा उपरांत प्रशासकीय आवश्यकता अनुसार ऐसे पदाधिकारियों को भी स्थानांतरण करने का प्रावधान है। श्री मिश्रा एक ही परिक्षेत्र मैहर में दो पदावधि में 4-4 वर्ष से अधिक समय से पदस्थ है। श्री मिश्रा द्वारा उनकी माताजी की देखभाल उन्हे अपने साथ रखकर की जा सकती है।

5/ वनक्षेत्रपाल का पद द्वितीय श्रेणी राजपत्रित अधिकारी का पद होने से शासन अपनी प्रशासनिक आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए किसी भी अधिकारी की पदस्थापना पर विचार कर सकता है।

अतः राज्य शासन एतद्द्वारा समग्ररूप से विचारोपरांत श्री सतीश चन्द्र मिश्रा, वनक्षेत्रपाल द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 20.06.2025 को अमान्य कर नस्तीबद्ध करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
Digitally signed by
Rajbendra Mishra
Date: 09-09-2025
14:43:49
EX OFFICIO DEPUTY SECRETARY
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

पृ.क्रमांक F-1/1/4/0042/2025-Sec-1-10, भोपाल, दिनांक 09-09-2025

प्रतिलिपिः-

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल।
2. स्टाफ ऑफिसर, अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन वन विभाग, मध्यप्रदेश, भोपाल।
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, वन भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल।
4. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन-II) वन भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल।
5. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सूचना एवं प्रौद्यो.) वन भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु द्वारा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा.-II) भोपाल।
6. संबंधित मुख्य वन संरक्षक एवं वनमंडलाधिकारी .... मध्यप्रदेश द्वारा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा.-II) मध्यप्रदेश, भोपाल।
7. संयुक्त संचालक, जनसम्पर्क, म.प्र.मंत्रालय, मध्यप्रदेश भोपाल।

8. संबंधित .... द्वारा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा.-।।) भोपाल।
9. गार्ड फाईल।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

सही/-
EX OFFICIO DEPUTY
SECRETARY
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख म.प्र. भोपाल
(शाखा-प्रशासन-।।)

पृ.क्र./प्रशा-।।/स्था-3/व.क्षे.कक्ष/ 5005 भोपाल दिनांक 12/09/2025

प्रतिलिपिः

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सूचना एवं प्रौद्योगिकी) वन भवन, मध्यप्रदेश भोपाल की ओर आदेश की प्रति प्रेषित है। कृपया वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
2. मुख्य वन संरक्षक रीवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल सीधी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल मैहर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। कृपया आदेश की प्रति श्री सतीश चन्द्र मिश्रा, वनक्षेत्रपाल को तामिल कराते हुए शीघ्र नवीन पदस्थिति हेतु भारमुक्त करना सुनिश्चित करें।
5. श्री सतीश चन्द्र मीश्रा, वनक्षत्रेपाल द्वारा वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल मैहर के माध्यम से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. आदेश/गार्ड फाईल।

(संजय पाठक)
उप वन संरक्षक(प्रशा-।।)
मध्यप्रदेश भोपाल

कक्ष / कर्मचारी का नाम
....
अ.प्र.मु.व.स. (सू.प्रौ.)